TDSAT IMPLEADS 64 NETWORKS IN WAVES OTT CASE

TDSAT has expanded its scrutiny over Prasar Bharati's WAVES OTT platform by impleading 64 major TV broadcasters.

In a significant procedural escalation, TDSAT warned the IBDF that continued delays in filing its reply would trigger penal consequences, giving them until the next hearing on August 31 to place their response on record.

The core of the dispute centers on a legal challenge mounted by the All India Digital Cable Federation (AIDCF) against Prasar Bharati's decision to stream linear satellite television channels on its government-backed WAVES OTT platform. AIDCF contends that streaming linear satellite channels via an OTT service violates existing Uplinking and Downlinking Guidelines, arguing that an OTT platform falls outside the prescribed regulatory distribution categories.

Following an application by AIDCF, the tribunal formally impleaded 64 major broadcasters as necessary parties, noting that any final decision will directly impact their commercial and operational rights. The newly added respondents represent India's leading television networks, including:

- **Major Media Giants:** Zee Media, TV Today Network, ABP Network, Republic Media, Network18, and Bennett Coleman & Co.
- **National & Regional Players:** NDTV, India TV, News Nation, TV9 Network, Asianet News, B4U, PTC Network, along with several devotional and regional channels.

While IBDF was already participating in the proceedings, individual broadcasters will now present their submissions directly. This case carries major implications for India's broadcasting sector, as TDSAT's final adjudication could define the legal framework governing linear TV channel distribution across digital and OTT platforms.■

वेब्स ओटीटी मामले में टीडीसेट ने 64 नेटवर्क को पक्षकार बनाया

टीडीसेट ने प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म की जांच का दायरा बढ़ाते हुए 64 बड़े टीवी प्रसारकों को मामले में पक्षकार बनाया है।

जारी प्रक्रिया में अहम कदम उठाते हुए टीडीसेट ने आईबीडीएफ को चेतावनी दी है कि अगर जवाब दाखिल करने में और देरी हुई तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्हें **31** अगस्त तक अगली सुनवाई तक अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखने का समय दिया गया है।

यह विवाद मुख्य रूप से 'ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन' (एआईडीसीएफ) द्वारा 'प्रसार भारती' के उस फैसले को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने सरकारी सपोर्ट वाले 'वेव ओटीटी' प्लेटफॉर्म पर लीनियर सैटेलाइट टीवी चैनलों को स्ट्रीम करने का निर्णय लिया था। एआईडीसीएफ का तर्क है कि ओटीटी सेवा के जरिए लीनियर सैटेलाइट चैनलों की स्ट्रीमिंग मौजूदा 'अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश' का उल्लंघन करती है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म तय रेगुलेटरी डिस्ट्रिब्यूशन श्रेणी के दायरे में नहीं आता है।

एआईडीसीएफ के इस आवेदन के बाद, ट्रिब्यूनल ने **64** बड़े प्रसारकों को औपचारिक रूप से जरूरी पक्षकार के तौर पर शामिल किया। ट्रिब्यूनल ने माना कि किसी भी अंतिम फैसले का उनके वाणिज्यिक और संचालन अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा। नये शामिल किये गये पक्षकार भारत के प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें शामिल हैंः

- **बड़े मीडिया ग्रुपः** जी टीवी, टीवी टुडे नेटवर्क, एबीपी नेटवर्क, रिपब्लिक मीडिया, नेटवर्क **18** और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी।
- **राष्ट्रीय व क्षेत्रीय प्लेयर्सः** एनडीटीवी, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, टीवी **9** नेटवर्क, एशियानेट न्यूज, बी**4**यू, पीटीसी नेटवर्क और कई धार्मिक व क्षेत्रीय चैनल।

हालांकि आईबीडीएफ पहले से ही कार्यवाही में शामिल था, लेकिन अब अलग-अलग प्रसारक सीधे अपनी बात रखेंगे। इस मामले का भारत के प्रसारण क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि टीडीसेट का अंतिम फैसला डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लीनियर टीवी चैनल के वितरण को नियंत्रण करने वाले कानूनी ढ़ांचे को तय कर सकता है।■